रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252377
CG-DL-E-26022024-252377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 844] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 884(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3,6, 25 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ) द्वारा प्रकाशित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम रूप में कहा गया है) बनाए थे;

और, उक्त नियमों के नियम 5 में उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित करेगी;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, प्रशासक की सिफारिश पर, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए निम्नलिखित पद्धति को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन खुले वन और झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित अवक्रमित भूमि क्षेत्र की अभिज्ञात करेंगे, जिन्हें वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए देश भर में हरित आवरण की वृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

2. पैरा 1 के अधीन वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए भूमि क्षेत्र को सभी ऋणभारों से मुक्त होना चाहिए और इसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए।

3. ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए वृक्षारोपण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रशासक को आवेदन कर सकती है।

4. पैरा 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि की पहचान करेगा और आवेदक को सौंपेगा और उसे उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के लिए वृक्षारोपण करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

5. पैरा 4 के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रशासक एक डिमांड नोट तैयार करेगा और उसे आवेदक को जारी करेगा, जिसमें वृक्षारोपण की लागत और प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, को डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशासक को भुगतान किया जाना सम्मिलित होगा।

6. आवेदक बैंक ड्राफ्ट या भुगतान के ऐसे अन्य साधनों, जो प्रशासक द्वारा तय किया जाए, के माध्यम से डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि से पहले प्रशासक को राशि का भुगतान करेगा।

7. पैरा 6 के अधीन राशि के भुगतान पर, प्रशासक वन विभाग को प्रबंधन योजना या कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण करने का निदेश देगा और भुगतान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर वक्षारोपण कार्य पूरा किया जाएगा।

8. वृक्षारोपण पूरा होने पर, वन विभाग इस संबंध में प्रशासक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आवेदक को वृक्षारोपण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

9. पैरा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक, वृक्षारोपण के मूल्यांकन और सत्यापन के पश्चात्, उक्त नियमों के अधीन निर्दिष्ट भूमि क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या और वृक्षारोपण क्रियाकलाप के पूरा होने की रिपोर्ट और प्रमाणन के आधार पर ग्रीन क्रेडिट सृजित कर सकता है और आवेदक को जारी कर सकता है।

10. ग्रीन क्रेडिट की गणना संबंधित वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के पूरा होने के संबंध में किए गए प्रमाणन के पश्चात्, स्थानीय वृक्ष-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1100 वृक्षों के न्यूनतम घनत्व के अधीन ऐसे भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण के माध्यम से उगाए गए प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट की दर से की जाएगी।

11. उक्त नियमों के अधीन सृजित ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), यथास्थिति, के अधीन गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण के अनुपालन को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

12. उक्त नियमों के अधीन वृक्षारोपण के बदले में सृजित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और शासन नेतृत्व संकेतक के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम (पीटी 2)-पार्ट (1)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 884(E).— Whereas, the Central Government made the Green Credit Rules, 2023 (hereinafter referred to the said Rules) under section 3,6, 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) vide notification number S.O. 4458(E), dated the 12th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii);

AND WHEREAS, rule 5 of the said Rules provides that the Central Government shall, on the recommendation of the Administrator, notify the methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken under the said Rules;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023, the Central Government, on the recommendation of the Administrator, hereby notifies the following methodology, for calculation of green credit in respect of tree plantation, namely: -

1. The Forest Department of every State and Union territory shall identify degraded land parcels, including open forest and scrub land, wasteland and catchment areas, under their administrative control and management, which shall be made available for tree plantation to promote activities for increasing the green cover across the country for the purposes of generation of Green Credit under the said Rules.

2. The land parcel identified for plantation under paragraph 1 must be free from all encumbrances and must have size of five hectares or above.

3. Any person or entity desirous of undertaking tree plantation for the purposes of generation of Green Credit may apply to the Administrator.

4. On receipt of the application under paragraph 3, the Administrator shall identify any land referred to in paragraph 1 and assign the same to the applicant and require him to submit a proposal for undertaking tree plantation for generation of Green Credit in lieu thereof under the said Rules.

5. On receipt of the proposal under paragraph 4, the Administrator shall prepare and issue a demand note to the applicant which shall include the cost of tree plantation and administrative expenses, if any, to be paid to the Administrator within a period specified in the demand note.

6. The applicant shall pay the amount to the Administrator on or before the period specified in the demand note through a bank draft or such other means of payment as may be decided by the Administrator.

7. On the payment of the amount under paragraph 6, the Administrator shall direct the Forest Department to carry out tree plantation in line with the management plan or working plan and shall be completed within a period of two years from the date of payment.

8. On completion of tree plantation, the Forest Department shall submit a report in this regard to the Administrator and issue a certificate of completion of tree plantation to the applicant.

9. On receipt of the report under paragraph 8, the Administrator, after evaluation and verification of the tree plantation activity may generate and issue Green Credit to the applicant under the said Rules, based on the total number of trees planted in assigned land parcel and on the report and certification of completion of tree plantation activity.

10. The Green Credit shall be calculated at the rate of one Green Credit per tree grown through the tree plantation on such land parcel, subject to minimum density of 1100 trees per hectare, based on the local silvi-climatic and soil conditions, on the certification of completion of tree plantation provided by the Forest Department concerned.

11. The Green Credit generated under the said Rules, may be exchanged for meeting the compliance of the compensatory afforestation in case of diversion of forest land for non-forestry purposes under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), as applicable.

12. The Green Credit generated in lieu of tree plantation under the said Rules may be used for reporting under environmental, social and governance leadership indicator or under corporate social responsibility under the applicable rules made under any law for the time being in force.

[F. No. HSM-12/24/2023-HSM(pt2)-Part(1)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.26 21:01:23 +05'30'